न्यायालय– सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम , डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 120/2003

सुदर्शन सिंह वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

गणपत राय वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

02-12-2024 उभयपक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के तरफ से दिनांक 09.05.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वर्तमान वाद वादी ने बटवारा के लिए दाखिल किया है। वादी को पुराने बक्से से घर की सफाई करने के दौरान वसिका वयनामा मरकूमें 17.01.1973 की मूल प्रति दिनांक 08.05.2022 को प्राप्त हुई। उक्त बिक्रय पत्र के माध्यम से गणपत राय, शिवयोगी राय वो ब्रिजा राय तथा जगपत राय वो जगदीश राय ने इजमाल मवाजी 77 डी0 खरीद किया। वो जिसमें गणपत राय, शिवयोगी राय वो ब्रिजा राय का हिस्सा बकदर 1@2 तथा जगपत राय वो जगदीश राय का हिस्सा बकदर 1@2 कुर्सीनामा के मुताबिक ही रहा तथा इसी हिस्सेदारी के मुताबिक दोनों फरीक सुविधा व सहुलियत के हिसाब से इजमालन काबिज दाखिल हैं व चलें आते है। वो जिसका पूरा तफसील इस आवेदन के परिशिष्ट सं0 1 में अंकित किया गया है जो वादीगण और प्रतिवादीगण फरीक औवल की इजमाल मौरूसी ऐराजी वो जयदाद है। वादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि पूर्व में उक्त दास्तावेज नहीं मिल पाने की वजह से वो जानकारी के आभाव में इस आवेदन के परिशिष्ट सं0 1 में वर्णित भूखण्ड वाद पत्र में दर्ज नहीं हो

लगातार
02.12.2024

सका। उसे अर्जी के जमीमा नं0 2 के आखिर में दर्ज किया जाना जरूरी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा संशोधन किये जाने से इस वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा अनुरोध करते हैं कि इस आवेदन के परिशिष्ट सं0 1 में वर्णित भूखण्ड वाद पत्र के परिशिष्ट सं0 2 के आखिर में दर्ज करते हुए वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति दिया जाय।

प्रतिवादीगण की तरफ से दिनांक 11.03.2024 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादी का आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा बहुत बिलंब से दाखिल किया गया है तथा इस वाद में वादी का साक्ष्य हो चुका है। पुराना मुकदमा है वो वादी के पास ही मूल कागजात था तथा आवेदन में जो वजह दिखाया गया है बिलकुल निराधार है तथा इस मुकदमें को लंबित करने के उद्देश्य से यह आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि बयनामा दिनांक 17.01.1973 में वादी का एक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का तीन हिस्सा कागजात के अनुसार संधारित है तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन दिनांक 09.05.2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैं यह मुकदमा बटवारा हेतू दाखिल किया गया है। वादी पैतृक संपत्ति को जोड़ना चाहता है, जो इस वाद के न्याय निर्णयन में सहायक होगा। परन्तु उक्त आवेदन बिलंब से दाखिल किया गया है। न्यायहित में उक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत होने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी के तरफ से दिनांक

लगातार
02.12.2024

09.05.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को मो0 1200/– एक हजार दो सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण यदि अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल करना चाहते है तो वे दाखिल कर सकते है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है खर्चे की अदायगी के पश्चात आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें। संशोधन पश्चात कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सिरिस्तेदार से कोर्ट फीस के संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक 20.01.2025 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)